| | | |
|---|---|---|
| | (5) मतदान में समानता के मामले में चुनाव के परिणाम सहायक आयुक्त द्वारा चिट्ठी डाल कर उस तरीके से किया जाएगा जैसा उन्होंने निर्धारित किया है । | |
| | **16.** ग्राम परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ, इस विनियम के तहत दिए गए कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन और ग्राम परिषद के संकल्पों को पूरा करने का दायित्व फर्स्ट कैप्टन में निहित होगी । | कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए फर्स्ट कैप्टन |
| | **17.** (1) ग्राम परिषद, तत्समय लागू किसी नियम के तहत जब तक तुरन्त विघटित नहीं हो जाती, इसकी बैठक की नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं ।<br><br>(2) उप धारा (1) में शामिल इन सब के बावजूद, इस विनियम के लागू होने से पूर्व ग्राम जनजातीय परम्परा के तहत कार्यरत किसी परिषद अथवा निकाय के सदस्य का अस्तित्व धारा 11 के अंतर्गत ग्राम परिषद के चुनाव की तारीख से समाप्त हो जाएगी ।<br><br>(3) ग्राम परिषद के गठन के लिए चुनाव इस प्रकार पूरे किए जाएँगेः–<br><br>(क) उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व; अथवा<br><br>(ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व<br><br>बशर्ते कि विघटित ग्राम पंचायत की पदावधि का शेष भाग जिसे जारी रखा जाना है, की अवधि छह माह से कम है, ऐसी पदावधि के शेष भाग के लिए ग्राम परिषद को जारी रखे जाने के लिए इस उप धारा के तहत चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।<br><br>(4) किसी ग्राम परिषद की अवधि समाप्त होने से पूर्व विघटित होने पर गठित ग्राम परिषद केवल पदावधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि के लिए उप धारा (1) के तहत विघटित ग्राम परिषद, यदि विघटित नहीं होती और बनी रहती । | ग्राम परिषद की अवधि |
| | **18.** (1) ग्राम परिषद की पहली बैठक समाप्त होने के तुरन्त बाद, उसका प्रत्येक सदस्य, जिसमें फर्स्ट कैप्टन और सैकेंड कैप्टन भी शामिल है, प्रथम अनुसूची में दिए गए फार्म में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे ।<br><br>(2) जो व्यक्ति ऐसे शपथ ग्रहण नहीं करता है वह मत नहीं दे सकेगा या बैठक के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा और न ही वह ग्राम परिषद द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हो सकेगा । | पदशपथ |